Title: Election of two members from Lok Sabha to the National Khadi and Village Industries Board.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"िक खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 15 और 17 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गऐ नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

MADAM SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of Section 10 of Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 read with rules 15 and 17 of Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two Members from amongst themselves to serve as members of the National Khadi and Village Industries Board subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder."

The motion was adopted.